



Neutral Citation No. - 2026:AHC:23057

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 3899 वर्ष 2026

सुभाष

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

अपर आयुक्त गोरखपुर मंडल, गोरखपुर और 7 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अरुण कुमार वर्मा, कृष्ण मोहन सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. कुछ तर्कों के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वर्तमान याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की गई है।
2. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस प्रार्थना का विरोध नहीं किया गया है।
3. तदनुसार, रिट याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।
4. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता को उसी वाद-हेतूक के लिए नई याचिका दायर करने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई है।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

3 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"